कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण

डॉ0 तूलिका चन्द्रा
असि0 प्रोफे0, अर्थशास्त्र विभाग, एम.के.पी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून

सारांश

एक देश के तीव्र आर्थिक विकास में महिला सशक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के संदर्भ में कौशल विकास का अर्थ केवल महिलाओं को रोजगार प्रदान करना ही नहीं बल्कि उनके द्वारा किए गए कार्यों में गुणात्मक सुधार कर कार्य प्रदर्शन को बेहतर तथा उत्पादक बनाना है। कौशल विकास उनके रोजगार को सुनिश्चित तो करेगा ही, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी सशक्त करने में सहायक होगा। महिला सशक्तिकरण वर्तमान में महत्वपूर्ण विषय है। यह महिलाओं को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग होने के लिए प्रेरित करता है। कौशल विकास महिलाओं में आत्म विश्वास तथा आत्म निर्भरता लाने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है। कौशल विकास महिला सशक्तिकरण की दषा और दिशा दोनों में परिवर्तन लाने का सकारात्मक प्रयास है। भारत जैसे विकासशील देश जहां कार्य शक्ति में भागीदारी की निम्न दर तथा लैंगिक असमानता जैसी समस्याएँ वर्तमान में भी विद्यमान है, एक चिंता का विषय है । महिला कौशल विकास अवश्य इस समस्या का समाधान करेगा। इस पेपर के द्वारा कौशल विकास का महिला सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव होगा, यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। महिला कौशल विकास से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख तथा समाधान कैसे हो , यह भी बताया गया है।

कौशल विकास द्वारा महिला सशक्तिकरण यह दोनों देश के समावेशी तथा संतुलित विकास हेतु आवश्यक है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में सशक्त महिला की भागीदारी से उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित है। सतत विकास का लक्ष्य पूर्ण करने में महिला कौशल विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है।

मूल शब्द : *कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन।*

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:
डॉ0 तूलिका चन्द्रा

कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण

शोध मंथन, जून 2018,
पेज सं0 122–126

Article No. 18
http://anubooks.com
?page_id=581

परिचय

यह सत्य है कि महिलाओं की भागीदारी एक परिवार और समाज के विकास में हमेशा महत्वपूर्ण रही है। पिछले कुछ दशकों से महिलाओं की कार्य स्थल से जुड़ी भूमिका में परिवर्तन आया है। वर्तमान में हमारा संविधान महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान करता है। लेकिन कार्यस्थल पर महिलाओं से भेदभाव, मजदूरी दर में भिन्नता, निम्न महिला भागीदारी आदि समस्याएँ आज भी पायी जाती है । अधिकांश कार्य करने वाली महिलाएं अप्रशिक्षित है, अकुशल है। यही कारण है कि वह असंगठित भी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट 29 मई 2017 के अनुसार 131 राष्ट्रों में भारत का स्थान महिला कार्य शक्ति में 120 वां है। महिला कार्य शक्ति भागीदारी भारत में लगभग 31.8ः है, जो कि पुरुष कार्य शक्ति भागीदारी दर 73.2ः से आधी से भी कम है ।

ऊपर के पाँच राज्य

राज्य	महिला कार्य भागीदारी दर
मिज़ोरम	61.3ः
हिमाचल प्रदेश	59.4ः
मेघालय	58.9ः
अरुणाचल प्रदेश	56.1ः
तेलंगाना	52.1ः

नीचे के पाँच राज्य

राज्य	महिला कार्य भागीदारी दर
पंजाब	9.4ः
दिल्ली	10ः
उत्तर प्रदेश	14ः
जम्मू और कश्मीर	16.4ः
हरियाणा	16.5ः

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो 2013–2014

इस स्थिति के लिए सामाजिक तथा आर्थिक दोनों कारण जिम्मेदार है। महिलाओं की स्थिति में सुधार अवश्य होगा परंतु इसके लिए उनकी कार्य उत्पादकता में सुधार आवश्यक है। महिलाओं से जुड़ी समस्याएं जैसे 'लिंग उत्पादकता अंतर','लिंग वेतन अंतर' तभी दूर हो पाएँगी जब महिला कौशल विकास की दिशा में सकारात्मक प्रयास उठाए जाएंगे।

महिलाएं और कौशल विकास

आर्थिक विकास और वृद्धि में महिलाओं की भूमिका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा महत्वपूर्ण रही है। जब उन्हें अवसर नहीं प्राप्त होते थे , तो वे घर के कार्य, बच्चों के लालन पोषण आदि तक ही सीमित रही थी। लेकिन शिक्षा के विस्तार से, कौशल विकास से वे घर और बाहर

दोनों के कार्यों को कुशलता से संभालने का सफल प्रयास कर रही है। परंतु यह भी सत्य है, कि अधिकांश महिलाएं आज भी अकुशल है।

अतः कौशल विकास के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह उनकी कार्य भागीदारी में उत्पादकता तथा कुशलता में वृद्धि सुनिश्चित करेगा। आज समय की मांग है, कि महिलायें निम्नलिखित कौशल ज्ञान को प्राप्त करें– जैसेः

- संचार कौशल
- नेतृत्व कौशल
- निर्णय शक्ति कौशल
- समय प्रबन्धन कौशल
- सामूहिक संघ कार्य कौशल
- रचनात्मकता कौशल
- लोचशीलता तथा अनुकूलनशीलता कौशल
- समस्या निवारण कौशल
- व्यक्तित्व विकास कौशल
- प्रबन्धन कौशल
- लेखांकन कौशल
- आधारिक कम्प्यूटर कौशल
- आचार नीति तथा अखंडता कौशल
- व्यावहारिकता कौशल
- नेटवर्किंग कौशल

समस्यायें

कौशल विकास द्वारा महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में समस्यायें कम नहीं हैं।

- सामाजिक समस्या
- आर्थिक समस्या
- राजनीतिक समस्या
- प्रशिक्षण समस्यायें

हमारा भारतीय समाज आज भी पुरुष प्रधान है। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, समान स्थान आदि विषय चिंता का कारण बने हुए है। लड़का–लड़की के शिक्षा अधिकारों को लेकर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास का लक्ष्य बहुत–असंभव तो नहीं, परन्तु कठिन अवश्य लगता है। यहीं नहीं आर्थिक असमानताएं भी बहुत है–जैसे–महिलाओं को कम वेतन प्राप्त होना आदि। सरकार प्रयास अवश्य करती है, परन्तु अपने द्वारा प्रारम्भ किये गये कौशल विकास के कार्यक्रमों का मूल्यांकन अप्रभावी

रहा है। महिलायें कौशल विकास के कार्यक्रमों से कितना लाभान्वित हो पायी है, कितना सशक्त हो पायी है– यह भी एक प्रश्न है। हमारी महिलायें जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है, उनका प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं से अधिक है। उन्हें प्रशिक्षण देना सरल नहीं है, क्योंकि अशिक्षा, गरीबी आदि बाधा पहुंचाते है। ऐसा नहीं है, कि सरकारी या गैर सरकारी प्रयास नहीं हो रहे है, परन्तु सफलता दर अभी भी बहुत संतोषजनक नहीं है। कौशल विकास की लागत भी कभी –कभी प्राप्ति में बाधा पहुंचाती है। तकनीकी ज्ञान का अभाव भी समस्या उत्पन्न करता है। हमारे देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्रों की कमी पायी जाती है।

सुझाव

- बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं
- महिला व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन
- लैंगिंक संवेदनशीलता
- प्रशिक्षण केन्द्रों का विस्तार
- वित्तप्रबन्ध
- महिला उद्यमिता का विकास
- डिजिटल प्लेटफार्मों का विस्तार
- रोजगार अवसरों में वृद्धि
- स्वयं रोजगार को प्रोत्साहन
- यह सत्य है, कि सशक्त महिला वही है– जो आर्थिक रूप से समृद्ध है। महिला आर्थिक रूप से तभी समृद्ध होगी जब शिक्षित होगी, प्रशिक्षित होगी, तथा कौशल विकास होगा। इसके लिये गांव तथा शहर के स्कूलों के पाठ्यक्रमों में प्रारंभ से ही कौशल ज्ञान को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ऐसी शिक्षा जो रोजगार दिलाएं, कौशल निर्माण को बढ़ावा दें, बच्चों को विशेष रूप से बालिकाओं को प्रदान करनी चाहिए। यही बालिकाएं भविष्य में सशक्त होगी– न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। कौशल ज्ञान पर महिलाओं का भी पुरुषों के समान अधिकार है।

सरकारी प्रयास और योजनाएं एवं महिला सशक्तिकरण

- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन– जुलाई 15, 2015
- कौशल भारत– जुलाई 15, 2015
- सीखो और कमाओं . अल्पसंख्यक हेतु स्कीम .2013–14
- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
- राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना

- मंत्री कौशल विकास योजना
- उड़ान कार्यक्रम (कौशल विकास मंत्रालय)
- गरीब नवाज कौशल विकास
- युवा–कौशल विकास कार्यक्रम (दिल्ली पुलिस)
- सोना युक्ति . कौशल विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

अतः सरकार बड़े स्तर पर कौशल विकास को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार का यह प्रयास हैं, कि महिलाएं अधिक से अधिक इन योजनाओं तथा स्कीम का लाभ उठा सकें। सरकार के कार्यक्रम जैसे 'मेक इन इंडिया' 'स्टैंड अप इंडिया', 'स्टार्ट–अप इंडिया' का उद्देश्य रोजगार सृजन करके कौशल विकास करना रहा है, ताकि महिला सशक्त हो, और देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें।

सरकारी प्रयासों तथा कार्यक्रम जैसे 'मेक इन इंडिया' आदि में महिला उद्यमियों की भागीदारी बहुत संतोषजनक रही है।

निष्कर्ष

यह सत्य है. कि वर्तमान में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' स्कीम सफलता से आगे बढ़ रही है। परन्तु यह भी आवश्यक है– कि बेटी को बचाना है, पढ़ाना है और फिर रोज़गार दिलाना है। महिला सशक्तिकरण तभी ही सम्भव है, जब महिला शिक्षित ही नहीं प्रशिक्षित भी होगी। सरकार का उद्देश्य ''वित्तीय समावेश'', है, लेकिन यह पूर्ण रूप से तभी सफल होगा जब महिला कौशल विकास होगा।

- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि तुलना करें तो भारतीय महिलाओं की भागीदारी और कौशल निर्माण एवं विकास बहुत संतोषजनक नहीं है। लेकिन कौशल विकास के नए कार्यक्रम, सरकार तथा निजी क्षेत्र की कौशल निर्माण में भागीदारी, अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम, वित्तीय समावेश, आदि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक योगदान देगें।
- 'कौशल भारत' कार्यक्रम के अन्तर्गत 35 लाख महिलाओं को कौशल प्रदान किया गया, जो वर्तमान में 'नए भारत' के निर्माण में सकारात्मक योगदान दे रही है।

संदर्भ

1. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (2012), ''कौशल मामलों'', न्यूजलेटर अंक संख्या 12, मार्च, 2012
2. प्रसन्ना कुमार (2014), ''भारत में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण'', बहुआयामी एशियाई जर्नल अध्ययन, खंड 2, अंक 1 जनवरी, 2014
3. श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (2012), "दूसरी वार्षिक रिर्पोट", भारत सरकार, 2011
4. किशोर, एस एवं गुप्ता, के (2009), "भारत में लैगिंक समानता तथा महिला सशक्तिकरण", राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2005–06, अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्था, मुंबई
5. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (2012) ''सकिल मैटरस", न्यूजलेटर नम्बर 12 मार्च, 2012